

Noe

3

संख्या-1611/15-7-161761/99

५५६

गुप्तम कुन्डर अग्निहोत्री,
संस्कृत विद्यापीठ,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा ब्लॉक-2 मन्डवापि ब्लॉक,
गौतम विहार,
नई दिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग

मकज: दिनांक: १५ अगस्त, 2000

विषय:- मंडारि विद्या मंदिर नेनी, झांझाबाद को संस्कृतोत्सव नई दिल्ली के संस्कृत से उनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में ।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषय पर मुझे पत्र मले का मित्रता हुआ है कि मंडारि विद्या मंदिर नेनी झांझाबाद को संस्कृतोत्सव, नई दिल्ली के संस्कृत से उनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में एक राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन उनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय को संस्कृत को-ऑपरेटिव का तन्त्र-तन्त्र पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय को प्रमुख तमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम एक प्रतिभा रथान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिये निर्धारित गुण के अधिक गुण नहीं दिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार के किसी अनुदान को मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद के उपाय देसिक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को संस्कृत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के प्राप्त होती है तो उ... परीक्षा वर्ष के उक्त केन्द्रीय परिषदों की संस्कृत प्राप्त होने से शिक्षा के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार के प्राप्त अनुदान रकम: समाप्त हो जायेगे ।
- 151 संस्था शिक्षा एवं शिक्षण के उपायों को राष्ट्रीय संस्था प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के उपायों को अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य भूतों के उन क्षेत्रों तथा अन्य भूतों नहीं दिये जायेगे ।
- 161 उपायों को जेकर को बनाया जायेगा और उन्हें संस्कृत प्राप्त आकाशवाणी उपकरण माध्यमिक शिक्षा परिषद के उपायों को अनुसूचित क्षेत्र निवृत्ति का नाम उपाय करके जायेगे ।

[Handwritten signature]

Self attested

[Handwritten signature]

- 174 राज्य सरकार द्वारा तय्य संका पर जो भी आदेश निम्न लिये जारी किये उनका पालन होगा ।
- 181 विधानसभा का रिजॉल्यू निर्धारित प्रपत्र/परिचयपत्रों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्करण नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रावधानों का पालन करना संस्था के निदेशानुसार अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की पूरक या शिथिलता प्रदर्शित की जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय

। प्रथम तुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव ।

पृ० सं०-1641/15-7-सदर दिनांक

प्रतिमापन निम्नलिखित दो दृष्टिकोणों से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मिथा निदेशक, उत्तर प्रदेश, मऊ ।
- 2- राष्ट्रीय संयुक्त मिथा निदेशक, आहावाट ।
- 3- जिला विधानसभा निरीक्षक, आहावाट ।
- 4- निरीक्षक, अन्तर्गत भारतीय विधानसभा, 3050, मऊ ।
- 5- अध्यक्ष, भारतीय विधान प्रेसिडेंसी, आहावाट ।

आज्ञा से,

[Signature]

। प्रथम तुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव ।

Self attested
[Signature]